

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ८५६ जयपुर/2003-०५

यह प्रमाणित किया जाता है कि विजयलक्ष्मी श्रीनाथ
सामीलि, अमरुद भवरोल जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सौल से आज
दिनांक इन्हीं माह मार्च सन दो हजार —८१२
को जयपुर में किया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएँ

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-१ ० 230 002751352

2751417

सचिव
विजय लक्ष्मी गिरि सचिव
भवरोल, जयपुर, राज.